

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 281] नई दिल्ली, तिथार, अगस्त 11, 1973/श्रावण 20, 1895

No. 281] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 11, 1973/SRAVANA 20, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ स-या दी जाती हैं जिससे एक यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
NOTIFICATION

New Delhi, the 10th August, 1973

S.O. 432(E) --In exercise of the powers conferred by section 6 of the Indian Coinage Act, 1906 (3 of 1906) the Central Government hereby determines that the coins of the following denominations shall also be coined at the Mint or issue under the authority of the Central Government and that such coins shall conform to the following dimensions, designs and composition, namely:—

Denomination of the coin	Shape and outside diameter	Number of serrations	Metal composition
Twenty Rupees	Circular 44 millimetres	200	Quarternary alloy; Silver 50%, Copper 40% Nickel 5% and Zinc 5%
Ten Rupees	Circular 39 millimetres	180	Quarternary alloy; Silver 50%, Copper 40%, Nickel 5% and Zinc 5%.
Fifty Paise	Circular 24 millimetres	205 (Security edged)	Cupro-Nickel ; Copper 75% and Nickel 25%.

Designs :

20 Rupees —

Obverse : This face of the coin shall bear the Lion Capital of Ashoka Pillar flanked on the left upper periphery with the word “भारत” in Hindi and on the right upper periphery with the word “INDIA” in English. It shall also bear the denominational value “20” in international numerals flanked on the left lower periphery with the word “रुपये” in Hindi and on the right lower periphery with the word “Rupees” in English.

Reverse : This face of the coin shall have a development oriented design consisting of a vertical central tablet with the Legend “अधिक अन्न उगाओ” in Hindi and “Grow More Food” in English. The central tablet shall be encircled by two ears of corns with the year of issue “1973” in international numerals appearing at the bottom of the tablet in between the two ears of corns. The whole design shall be enclosed in a circle.

10 Rupees —

Obverse : This face of the coin shall bear the Lion Capital of Ashoka Pillar flanked on the left upper periphery with the word “भारत” in Hindi and on the right upper periphery with the word “INDIA” in English. It shall also bear the denominational value “10” in international numerals flanked on the left lower periphery with the word “रुपये” in Hindi and on the right lower periphery with the word “Rupees” in English.

Reverse : This face of the coin shall have a development oriented design consisting of a vertical central tablet with the Legend “अधिक अन्न उगाओ” in Hindi and “Grow More Food” in English. The central tablet shall be encircled by two ears of corns with the year of issue “1973” in international numerals appearing at the bottom of the tablet in between the two ears of corns. The whole design shall be enclosed in a circle.

50 Paise —

Obverse : This side of the coin shall bear the Lion Capital of Ashoka Pillar flanked on the left upper periphery with the word “भारत” in Hindi and on the right upper periphery with the word “INDIA” in English. It shall also bear the denominational value “50” in international numerals flanked on the left lower periphery with the word “पैसे” in Hindi and on the right lower periphery with the word “Paise” in English.

Reverse : This side of the coin shall have a development oriented design consisting of a vertical central tablet with the legend “अधिक अन्न उगाओ” in Hindi and “Grow More Food” in English. The central tablet shall be encircled by two ears of corns with the year of issue “1973” in international numerals appearing at the bottom of the tablet in between the two ears of corns. The whole design shall be enclosed in a circle.

2. This notification shall come into force on 15th August, 1973.

[No. F. 1/51/72-Coin (i)]

वित्त-मंत्रालय

(आर्थिक कार्य-विभाग)

अधिसूचनाएँ

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 1973

एस० प्रो० 432(अ).—भारतीय सिक्का-डलाई अधिनियम 1906 (1906 के तीसरे) की धारा 6 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा यह निर्धारित करती है कि केन्द्रीय सरकार के अधिकार के अन्तर्गत जारी किए जाने के लिए निम्नलिखित सिक्के भी एकसाल में ढाले जायेंगे तथा इन सिक्कों का आयाम डिजाइन और संरचना इस प्रकार होगी अर्थात्:—

सिक्के का मूल्य	आकार और बाहरी व्यास	दंतानों की संख्या	धातु की संरचना
बीस रुपये	वृत्ताकार 44 मिलिमीटर	200	चतुर्धातु मिश्रण चांदी 50 प्रतिशत निकल 5 ,, जिंक 5 ,,
दस रुपये	वृत्ताकार 30 मिलिमीटर	180	चतुर्धातु मिश्रण चांदी 50 ,, निकल 5 ,, तांबा 40 ,, जिंक 5 ,,
पचास पैसे	वृत्ताकार 24 मिलिमीटर	205	तांबा निकल, (सिक्कोरिटी तांबा 75 ,, एज्ड) और निकल 25 ,,

डिजाइन :

बीस रुपये :

सोपी तरफ :

सिक्के के इस तरफ अशोक स्तम्भ वाले शेर का चित्र होगा और उसकी ऊपरी परिधि की बाईं ओर हिन्दी में "भारत" तथा ऊपरी परिधि की दाईं ओर अंग्रेजी में "INDIA" शब्द होंगे। इस तरफ अन्तर्राष्ट्रीय अंकों में सिक्कों का मूल्य "20" अंकित होगा और निचली परिधि की बाईं ओर हिन्दी में "रुपये" और निचली परिधि की दाईं ओर अंग्रेजी में "RUPEES" शब्द होंगे।

उलटी तरफ :

सिक्के के इस तरफ विकास सम्बन्धी डिजाइन होगा जिसके केन्द्र में सोपी खड़ी पट्टी होगी जिस पर हिन्दी में "अधिक अन्न उगाओ" और अंग्रेजी में "GROW MORE FOOD" शब्द होंगे। केन्द्रीय पट्टी के इर्द गिर्द गोलाकार में धान की दो बालियां होंगी तथा पट्टी के निचले भाग पर धान की दोनों बालियां के बीच में अन्तर्राष्ट्रीय

अंकों में सिक्के के जारी करने का वर्ष "1973" लिखा होगा ।
सम्पूर्ण डिजाइन एक वृत्त से घिरा होगा ।

वस रूप

सीधी तरफ : सिक्के के इस तरफ अशोक स्तम्भ वाले शेर का चिह्न होगा और उसकी ऊपरी परिधि की बाईं ओर हिन्दी में "भारत" तथा ऊपरी परिधि की दाईं ओर अंग्रेजी में "INDIA" शब्द होंगे । इस तरफ अन्तर्राष्ट्रीय अंकों में सिक्कों का मूल्य "10" अंकित होगा और निचली परिधि की बाईं ओर हिन्दी में "रुपये" और निचली परिधि की दाईं ओर अंग्रेजी में "RUPEES" शब्द होंगे ।

उलटी तरफ : सिक्के के इस तरफ विकास सम्बन्धी डिजाइन होगा जिसके केन्द्र में सीधी खड़ी पट्टी होगी जिस पर हिन्दी में "अधिक अन्न उगाओ" और अंग्रेजी में "GROW MORE FOOD" शब्द होंगे । केन्द्रीय पट्टी के इर्द गिर्द गोलाकार में धान की दो बालियां होंगी तथा पट्टी के निचले भाग पर धान की दोनों बालियों के बीच में अन्तर्राष्ट्रीय अंकों में सिक्के के जारी करने का वर्ष "1973" लिखा होगा । सम्पूर्ण डिजाइन एक वृत्त से घिरा होगा ।

पचास पैसे

सीधी तरफ : सिक्के के इस तरफ अशोक स्तम्भ वाले शेर का चिह्न होगा और उसकी ऊपरी परिधि की बाईं ओर हिन्दी में "भारत" तथा ऊपरी परिधि की दाईं ओर अंग्रेजी में "INDIA" शब्द होंगे । इस तरफ अन्तर्राष्ट्रीय अंकों में सिक्के का मूल्य "50" अंकित होगा और निचली परिधि की बाईं ओर हिन्दी में "पैसे" और निचली परिधि की दाईं ओर अंग्रेजी में "PAISE" शब्द होंगे ।

उलटी तरफ : सिक्के के इस तरफ विकास सम्बन्धी डिजाइन होगा जिसके केन्द्र में सीधी खड़ी पट्टी होगी जिस पर हिन्दी में "अधिक अन्न उगाओ" और अंग्रेजी में "GROW MORE FOOD" शब्द होंगे । केन्द्रीय पट्टी के इर्द गिर्द गोलाकार में धान की दो बालियां होंगी तथा पट्टी के निचले भाग पर धान की दोनों बालियों के बीच में अन्तर्राष्ट्रीय अंकों में सिक्के के जारी करने का वर्ष "1973" लिखा होगा । सम्पूर्ण डिजाइन एक वृत्त से घिरा होगा ।

2. यह अधिसूचना 15 अगस्त, 1973 से लागू होगी ।

[संख्या एफ० 1/51/72-क्याईन(i)]

S. O. 433 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 21 read with section 7 of the Indian Coinage Act, 1906 (3 of 1906), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. *Short title and commencement :*

- (1) These rules may be called the Indian Coinage Rules, 1973.
- (2) They shall come into force on the 15th day of August, 1973.

2. *Standard weight and remedy allowed :—*

The standard weight of the following coins, coined under the provisions of section 6 of the Indian Coinage Act, 1906 (3 of 1906), and the remedy allowed in the making of such coins shall be as specified in the table below :—

TABLE

S No.	Denomination	Weight	Remedy allowed	
			in composition	in weight
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Twenty Rupees	30 grammes	Two thousandth plus or minus for silver i. e. the silver contents could vary from 498 to 502 per thousand.	1/100th plus or minus i.e. the weight could vary from 29.700 grammes to 30.300 grammes.
2	Ten Rupees	22.50 grammes	Two thousandth plus or minus for silver i.e. the silver contents could vary from 498 to 502 per thousand.	1/100th plus or minus i.e. the weight could vary from 22.275 grammes to 22.725 grammes.
3	Fifty Paise	5 grammes	One hundredth plus or minus for both copper and nickel, i.e. copper could vary from 74% to 76% and nickel from 24% to 26%.	1/40th plus or minus i.e. the weight could vary from 4.875 grammes to 5.125 grammes.

[No. F. 1/51/72-Coin(ii)]

J. S. BAIJAL, Jt. Secy.

एस० ओ० 433(अ)—भारतीय सिक्का ठलाई अधिनियम 1906 (1906 का तीसरा) की धारा 7 के साथ पठित धारा 21 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् :—

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ

- (1) इन नियमों को भारतीय सिक्का ठलाई नियमावली 1973 कहा जा सकेगा।
- (2) ये नियम 15 अगस्त, 1973 से लागू होंगे।

2. प्रमाणिक तौल और अनुमत परिहार

भारतीय सिक्का ठलाई अधिनियम, 1906 (1906 का तीसरा) की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन ठाले गए निम्नलिखित सिक्कों का प्रमाणिक तौल और ऐसे सिक्कों के निर्माण में अनुमत परिहार नीचे निर्दिष्ट किए गए के अनुसार होगा :—

क्रम संख्या	मूल्य	तौल	अनुमत परिहार	
			संरचना में	तौल में
1	2	3	4	5
1	बीस रुपये	30 ग्राम	चांदी के सम्बन्ध में दो हजारवां भाग अधिक या कम अर्थात् चांदी की मात्रा में प्रति हजार 498 से 502 तक की घट बढ़ हो सकती है ।	1/100 अधिक या कम अर्थात् तौल में 29.700 ग्राम से 30.300 ग्राम तक की घट बढ़ हो सकती है ।
2	दस रुपये	22.50 ग्राम	चांदी के सम्बन्ध में दो हजारवां भाग अधिक या कम अर्थात् चांदी की मात्रा में प्रति हजार 498 से 502 तक की घट बढ़ हो सकती है ।	1/100 अधिक या कम अर्थात् तौल में 22.275 ग्राम से 22.725 ग्राम तक की घट बढ़ हो सकती है ।
3	पचास पैसे	5 ग्राम	तांबा और निकल दोनों के सम्बन्ध में सीवां भाग अधिक या कम अर्थात् तांबे में 74 से 76 प्रतिशत तक और निकल में 24 से 26 प्रतिशत तक की घट बढ़ हो सकती है ।	1/40 अधिक या कम अर्थात् तौल में 4.875 ग्राम से 5.125 ग्राम तक की घट बढ़ हो सकती है ।

[संख्या एफ 1/51/72—क्वाइन (ii)]

जगदीश शरण बैजल, संयुक्त सचिव ।